

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र [आर.ए.एस.]
प्रकरण संख्या: 249/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/324)
वादी बनाम प्रतिवादीगण

1. भगवान सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. सतविन्द्र सिंह पुत्र जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. परमजीत कौर पत्नी जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. टहल सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 4. लखवीर सिंह पुत्र टहल सिंह जटसिख निवासी 48 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 5. लखविन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 6. तेजेन्द्र सिंह पुत्र लखविन्द्र सिंह जटसिख निवासी 48 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 7. जगतार सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 8. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
---	--

पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
तारीख रजू 27.07.2023

उपस्थित: 1. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादीगण

2. श्री मनीष कुमार जागिंड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 7

निर्णय—

दिनांक: 30/01/2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 2 एमएम तहसील श्रीकरणपुर के खाता संख्या 117, 92, 96 व चक 41 जी जी के खाता संख्या 103, 152, 153, 154 एवं चक 40 जी जी के खाता संख्या 164, 294, 318, 319, 320 में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता व एकल खाता में काश्तकार की हैसियत से भूमि दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व अभिलेख में दर्ज अपने हिस्से के अनुसार काबिल चले आ रहे हैं। पक्षकारान एक ही गांव व एक परिवार के सदस्यगण हैं। पक्षकारान अपनी भूमि पर पिछले 25-30 वर्षों से घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार शान्तिपूर्वक निर्वाध निरन्तर काबिज चले आ रहे हैं। मौखिक बंटवारा अनुसार वादी भगवान सिंह एवं प्रतिवादी संख्या 7 जगतार सिंह के कब्जा काश्त में चक 40 जी जी में मुरब्बा नं० 45 में किला नं० 12/2 के 0.127 हैक्टर, 13 के 0.253 हैक्टर, 14/1 के 0.127 हैक्टर रकबा 0.507 हैक्टर, मुरब्बा नं० 78 के किला नं० 1 के 0.203 हैक्टर, 2 के 0.054 हैक्टर, 10, 11, 20, 21 में 0.912 हैक्टर, 9, 12, 19, 22 सालम सालम रकबा 1.012 हैक्टर भूमि, मुरब्बा नं० 88 के किला नं० 7 के 0.253 हैक्टर, 14/1 के 0.126 हैक्टर रकबा 0.379 हैक्टर कुल क्षेत्रफल 3.06 हैक्टर नहरी भूमि पर है। पक्षकारान पारस्परिक समति विभाजन के अनुसार अपने हिस्सा में आये किलाजात पर काबिज अवश्य है, लेकिन उक्त कृषि भूमि पक्षकारान के नाम से अलग-अलग खाता में वर्णित है और राजस्व अभिलेख के अनुसार उन्का कब्जा व काश्त एक दूसरे के मुरब्बाजात व खाताजात में है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में वर्णित भूमि पर वादीगण का कब्जा बंटवारानामा मुताबिक नहीं होने के कारण पक्षकारान को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। पक्षकारान को अपने हिस्सा की कृषि भूमि हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली सरकारी अनुदान, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने व रास्ता आदि की विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण पक्षकारान अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का अन्य संयुक्त सहखातेदारान से किलावाईज जोत विभाजन करवाकर, अपने कब्जा व हिस्सा की कृषि भूमि को किलावाईज अलग से अपने नाम घोषित करवाने चाहते हैं तथा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

पक्षकारान के हिस्सा में आई कृषि भूमि का राजस्व लगान भी अलग से पक्षकारान अपने नाम कायम करवाना चाहते हैं। वादीगण ने आज से 10 रोज पूर्व प्रतिवादीगण से कहा कि हम पारिवारिक नौखिक वंटवारानामा के अनुसार कब्जा शुदा भूमि का अंकन अपने-अपने हिस्सा में आई कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में कब्जानुसार दर्ज करवा लेवे, तो प्रतिवादीगण द्वारा हर समय पारिवारिक परे-नियों व व्यस्तता के कारण साफ इंकार कर रही है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस में है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि का विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वादी को अन्य पक्षकारान के साथ सयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जाकर उनके नाम से राजस्व अभिलेख में अलग से खाता व लगान कायम किया जावे व दावा डिक्री फरमाया जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मान तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार जागिंड उपस्थित आए। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार घरू वंटवारानामा में प्रतिवादी संख्या 1 सतविन्द्र सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 परमजीत कौर को चक 40 जी जी के मुरब्बा नं0 77 के किला नं0 1 के 0.253 हैक्टर, 2 के 0.253 हैक्टर, 3 के 0.253 हैक्टर, 4 के 0.253 हैक्टर, 5 के 0.253 हैक्टर व मुरब्बा नं0 78 के किला नं0 1 के 0.025 हैक्टर, 2/1 के 0.194 हैक्टर, 3 के 0.253 हैक्टर, 8 के 0.253 हैक्टर, 13 के 0.253 हैक्टर, 18 के 0.253 हैक्टर, 23 के 0.253 हैक्टर, मुरब्बा नं0 88 के किला नं0 14 के 0.127 हैक्टर, 17 के 0.253 हैक्टर, कुल क्षेत्रफल 3.129 हैक्टर नहरी भूमि प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 3 टहल सिंह, प्रतिवादी संख्या 4 लखवीर सिंह को चक 41 जी जी के मुरब्बा नं0 52 के किला नं0 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक में 0.228 हैक्टर, 6, 7, 8 प्रत्येक के 0.253 हैक्टर, 9 के 0.076 हैक्टर नहरी, मुरब्बा नं0 72/11 के 0.127 हैक्टर खाला भूमि कुल क्षेत्रफल 2.101 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि, मुरब्बा नं0 53 के किला नं0 1 के 0.114 हैक्टर, 2 के 0.127 हैक्टर, 6 के 0.202 हैक्टर, किला नं0 7 व 8 प्रत्येक में 0.253 हैक्टर, 9/1 के 0.127 हैक्टर, मुरब्बा नं0 72/30 के 0.012 हैक्टर खाला भूमि कुल क्षेत्रफल 1.075 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि, चक 40 जीजी के मुरब्बा नं0 88 के किला नं0 12 के 0.253 हैक्टर, 13 के 0.126 हैक्टर, मुरब्बा नं0 45 के किला नं0 11 के 0.253 हैक्टर, 12 के 0.126 हैक्टर कुल क्षेत्रफल 0.758 हैक्टर नहरी भूमि प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 5 लखविन्द्र सिंह व प्रतिवादी संख्या 6 तेजेन्द्र सिंह के कब्जा व काश्त में चक 2 एमएम के खाता संख्या 117 के मुरब्बा नं0 26, 54, 142/33 की कुल 5.491 हैक्टर भूमि में से खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 सतविन्द्र सिंह व प्रतिवादी संख्या 2 परमजीत कौर के नाम दर्ज कुल 0.595 हैक्टर भूमि, प्रतिवादी संख्या 4 लखवीर सिंह के नाम दर्ज कुल 0.325 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 7 जगतार सिंह के नाम दर्ज कुल 0.325 हैक्टर व खातेदार सदीप कौर व मनदीप कौर पुत्री जगसीर सिंह के द्वारा अपने नाम भूमि का स्थानांतरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम कर दिया है। खाता संख्या 92 के मुरब्बा नं0 65, 90 में कुल 3.036 में से 0.253 हैक्टर भूमि कुल 1.498 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 5 लखविन्द्र सिंह के नाम से दर्ज किया जावे उक्त खाता के हिस्सेदार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व उनके हक में स्थानांतरित भूमि के हिस्सेदारान का नाम राजस्व अभिलेख में से कलमजन किया जावे। चक 40 जीजी के मुरब्बा नं0 88 के किला नं0 8 के 0.253 हैक्टर, 13 के 0.127 हैक्टर कुल 0.380 हैक्टर भूमि। चक 41 जी जी के मुरब्बा नं0 53 के किला नं0 1 के 0.114 हैक्टर, 2 के 0.126 हैक्टर, 3, 4, 5 प्रत्येक के 0.253 हैक्टर, 6 के 0.051 हैक्टर भूमि कुल 1.063 हैक्टर भूमि। इसी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 6 तेजेन्द्र सिंह के नाम खाता संख्या 117 में वर्णित भूमि वदस्तूर ही रहेगी एवं चक 2 एमएम के खाता संख्या 96 के मुरब्बा नं0 75 के 6.325 हैक्टर बारानी भूमि का नाम में से प्रतिवादी संख्या 3 टहल सिंह पुत्र नारायण सिंह की भूमि 1.265 हैक्टर भूमि के स्थान पर 1.075 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 5 लखविन्द्र सिंह पुत्र नाम राम सिंह की भूमि 0.422 हैक्टर के स्थान पर 0.232 हैक्टर, वादी भगवान सिंह पुत्र नारायण सिंह के नाम दर्ज 1.265 हैक्टर के स्थान पर 1.075 हैक्टर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 0.317 हैक्टर के स्थान पर 0.887 हैक्टर भूमि। इसी अनुसार प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया किए जाने के आदेश दिए जावे। वादी अधिवक्ता के द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम पेश नहीं करने हेतु अर्ज किया। जवाब काउन्टर क्लेम बन्द किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर

तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र, काउन्टर क्लेम एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 2 एम एम, पटवार हल्का धरंगावाली, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 117/117 के मुर्ब्बा नम्बर 26, 54, 142/33 की कुल 5.491 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 92/92 के मुर्ब्बा नम्बर 65, 90 की कुल 3.036 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 96/96 के मुर्ब्बा नम्बर 75 की 6.325 हैक्टेयर भूमि, चक 41 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 103/85 के मुर्ब्बा नम्बर 53, 72/30 की कुल 1.076 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 152/103 के मुर्ब्बा नम्बर 53, 72/30 की कुल 1.075 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 153/103 के मुर्ब्बा नम्बर 52 की कुल 1.050 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 154/103 के मुर्ब्बा नम्बर 52, 72/11 की कुल 1.051 हैक्टेयर भूमि, चक 40 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के मुर्ब्बा नम्बर 77, 78, 88 की कुल 1.614 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 294/124 के मुर्ब्बा नम्बर 45 की कुल 0.886 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 318/164 के मुर्ब्बा नम्बर 77, 78, 88 की कुल 1.613 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 319/164 के मुर्ब्बा नम्बर 77, 78, 88 की कुल 1.613 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 320/164 के मुर्ब्बा नम्बर 77, 78, 88 की कुल 1.613 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के हिस्सा में आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा मोके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान उभयपक्ष अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 2 एम एम, पटवार हल्का धरंगावाली, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 92/92 में सतविन्द्र सिंह पुत्र जगसीर सिंह के नाम दर्ज 0.253 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 लखविन्द्र सिंह राम सिंह को व खाता संख्या 117/117 में जगतार सिंह पुत्र भगवान सिंह, लखवीर सिंह पुत्र टहल सिंह, सतविन्द्र सिंह पुत्र जगसीर सिंह के नाम दर्ज कुल 1.245 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 लखविन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह को तथा खाता संख्या 96/96 में टहल सिंह पुत्र नारायण सिंह को 1.075 हैक्टेयर भूमि का, लखविन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह को 0.232 हैक्टेयर भूमि का, सतविन्द्र सिंह पुत्र जगसीर सिंह को 1.835 हैक्टेयर भूमि का, भगवान सिंह पुत्र नारायण सिंह को 1.075 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर चक 41 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 103/85 के मुर्ब्बा नम्बर 53, 72/30 की कुल 1.076 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 152/103 के मुर्ब्बा नम्बर 53, 72/30 की कुल 1.075 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 153/103 के मुर्ब्बा नम्बर 52 की कुल

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

1.050 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 154/103 के मुख्वा नम्बर 52, 72/11 की कुल 1.051 हैक्टेयर भूमि, चक 40 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के मुख्वा नम्बर 77, 78, 88 की कुल 1.614 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 294/124 के मुख्वा नम्बर 45 की कुल 0.886 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 318/164 के मुख्वा नम्बर 77, 78, 88 की कुल 1.613 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 319/164 के मुख्वा नम्बर 77, 78, 88 की कुल 1.613 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 320/164 के मुख्वा नम्बर 77, 78, 88 की कुल 1.613 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत सकूनत	राजरव ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किम्म	लगान				
1	भगवान सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। (2.742 है.) जगतार सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर (0.325 है.)	40 जीजी	45	12/2	0.127 हैक्टेयर	नहरी	0.95				
				13	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.90				
				14/1	0.127 हैक्टेयर	नहरी	0.95				
				1/2	0.203 हैक्टेयर	नहरी	1.52				
				2/2	0.054 हैक्टेयर	नहरी	0.41				
			78	10	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71				
				11	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71				
				20	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71				
				21	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71				
				9,12,19,22	1.012 हैक्टेयर	नहरी	7.60				
88	7	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.90							
	14/1	0.126 हैक्टेयर	नहरी	0.95							
2	सतविन्द्र सिंह पुत्र जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर (2.327 है.) परमजीत कौर पत्नी जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर(0.807 है.)	40जीजी	77	1 ता 5	1.265 हैक्टेयर	नहरी	9.50				
				1/1	0.025 हैक्टेयर	नहरी	0.19				
				2/1	0.199 हैक्टेयर	नहरी	1.49				
			88	3,8,13,18,23	1.265 हैक्टेयर	नहरी	9.50				
				14/2	0.127 हैक्टेयर	नहरी	0.95				
				17	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.90				
3	टहल सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर (0.891 है.) लखवीर सिंह पुत्र टहल सिंह जटसिख निवासी 48 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर (1.210 है.)	41जीजी	52	1	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.71				
				2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71				
				3	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71				
				4	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71				
				5	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71				
				6,7,8	0.759 हैक्टेयर	नहरी	5.70				
				9/1	0.076 हैक्टेयर	नहरी	0.57				
				72/11	0.127 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00				
				4	टहल सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर (1.847 है.)	41जीजी	53	1/2	0.114 हैक्टेयर	नहरी	0.85
								2/2	0.127 हैक्टेयर	नहरी	0.95
6/2	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.51								
7,8	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.80								
9/1	0.127 हैक्टेयर	नहरी	0.95								
72/30	0.012 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00								
40जीजी	88	0.253 हैक्टेयर	नहरी					1.90			
	13/1	0.127 हैक्टेयर	नहरी					0.95			
	11	0.253 हैक्टेयर	नहरी					1.90			
	12/1	0.126 हैक्टेयर	नहरी					0.95			



भगवान सिंह बनाम सतविन्द्र सिंह आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 91 आरटीए,
प्रकरण संख्या 249/2023

लखविन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर (1.443 है.)	40जीजी	88	8	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.90
			13/2	0.127 हैक्टेयर	नहरी	0.95
	41जीजी	53	1/1	0.114 हैक्टेयर	नहरी	0.85
			2/1	0.126 हैक्टेयर	नहरी	0.95
			3,4,5	0.759 हैक्टेयर	नहरी	5.70
			6/1	0.051 हैक्टेयर	नहरी	0.38
		72/30		0.013 हैक्टेयर	गे.मु.खा.	0.00

खाता एवं रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। वंटवाग
विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर
पत्रावली बद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद
कमील जाबता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 30/01/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर



आतिम डिक्री बमुकदम इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्बा दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
भगवान सिंह बनाम सतविन्द्र सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 53, 88, 91 आरटीए मुकदमा नम्बर 249/2023

निर्णय दिनांक :- 30.01.2024

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कताई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व दार्जुन वादीगण अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार जागिंड पेश होने पर प्रदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जर्ग की जाती है कि चक 2 एम एम, पटवार हल्का धरंगावाली, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 92/92 में सतविन्द्र सिंह पुत्र जगसीर सिंह के नाम दर्ज 0.253 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 लखविन्द्र सिंह राम सिंह को व खाता संख्या 117/117 में जगतार सिंह पुत्र भगवान सिंह, लखवीर सिंह पुत्र दहल सिंह, सतविन्द्र सिंह पुत्र जगसीर सिंह के नाम दर्ज कुल 1.245 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 लखविन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह को तथा खाता संख्या 96/96 में दहल सिंह पुत्र नारायण सिंह को 1.075 हैक्टेयर भूमि का, लखविन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह को 0.232 हैक्टेयर भूमि का, सतविन्द्र सिंह पुत्र जगसीर सिंह को 1.835 हैक्टेयर भूमि का, भगवान सिंह पुत्र नारायण सिंह को 1.075 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर चक 41 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 103/85 के मुख्बा नम्बर 53, 72/30 की कुल 1.076 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 152/103 के मुख्बा नम्बर 53, 72/30 की कुल 1.075 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 153/103 के मुख्बा नम्बर 52 की कुल 1.050 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 154/103 के मुख्बा नम्बर 52, 72/11 की कुल 1.051 हैक्टेयर भूमि, चक 40 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के मुख्बा नम्बर 77, 78, 88 की कुल 1.614 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 294/124 के मुख्बा नम्बर 45 की कुल 0.886 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 318/164 के मुख्बा नम्बर 77, 78, 88 की कुल 1.613 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 319/164 के मुख्बा नम्बर 77, 78, 88 की कुल 1.613 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 320/164 के मुख्बा नम्बर 77, 78, 88 की कुल 1.613 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान	
1	भगवान सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। (2.742 है.) जगतार सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर (0.325 है.)	40 जीजी	45	12/2	0.127 हैक्टेयर	नहरी	0.95	
				13	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.90	
				14/1	0.127 हैक्टेयर	नहरी	0.95	
				78	1/2	0.203 हैक्टेयर	नहरी	1.52
				2/2	0.054 हैक्टेयर	नहरी	0.41	
				10	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71	
				11	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71	
				20	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71	
				21	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71	
				88	9,12,19,22	1.012 हैक्टेयर	नहरी	7.60
			7	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.90		
			14/1	0.126 हैक्टेयर	नहरी	0.95		
2	सतविन्द्र सिंह पुत्र जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर (2.327 है.) परमजीत कौर पत्नी जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर(0.807 है.)	40 जीजी	77	1 ता 5	1.265 हैक्टेयर	नहरी	9.50	
				78	1/1	0.025 हैक्टेयर	नहरी	0.19
					2/1	0.199 हैक्टेयर	नहरी	1.49
					3,8,13,18,23	1.265 हैक्टेयर	नहरी	9.50
				88	14/2	0.127 हैक्टेयर	नहरी	0.95
					17	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.90
3	दहल सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर (0.891 है.) लखवीर सिंह पुत्र दहल सिंह	41 जीजी	52	1	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.71	
				2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71	
				3	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71	
				4	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71	
				5	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री कल्याणपुर

जटसिख निवासी 48 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरनपुर (1.210 है.)	41जीजी	72/11	6,7,8 9/1	0.759 हैक्टेयर	नहर	5.70
		53	1/2 2/2 6/2 7,8 9/1	0.076 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 0.114 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 0.202 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर	नहर नहर गै.मु.खा. नहर नहर नहर नहर	0.57 0.00 0.85 0.95 1.51 3.80 0.95
लखविन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरनपुर (1.847 है.)	40जीजी	72/30	12	0.012 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
		88	13/1 11 12/1	0.253 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर	नहर नहर नहर नहर	1.90 0.95 0.95 0.95
5 लखविन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जी जी श्रीनगर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर (1.443 है.)	41जीजी	88	8 13/2	0.253 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर	नहर नहर	1.90 0.95
		53	1/1 2/1 3,4,5 6/1	0.114 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 0.759 हैक्टेयर 0.051 हैक्टेयर 0.013 हैक्टेयर	नहर नहर नहर नहर गै.मु.खा.	0.85 0.95 5.70 0.38 0.00
		72/30				

शेष खाता एवं रहन बंदस्तूर रहेगा। यदि उक्त प्रकरण में कोई राजस्व हानि देय होती है, तो सम्बन्धित पक्षकार वहन करेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजर नकशा निर्णय का एक भाग माना जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 05.02.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)]

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	2000	00	मेहनताना वकील पर	04	00
योग	2004	00	योग		

[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)]

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

दिनांक: 06.02.2024

क्रमांक: रीडर/ 2024/24

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)]

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

